न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.
(न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट पलवा)

वाद संख्या :— 02 / 133 / 2015

<u>मेघसिंह बनाम सरकार</u>
प्रार्थना पत्र 212 आर.टी. एक्ट

दिनांक 15.06.2018

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय स्वप्रेरणा से कैम्प कोर्ट पलवा पर पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में दिनांक 14.06.2002 को आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 302, 304 वाके ग्राम बहाली तहसील राजगढ में एकतरफा बहस वकील वादी सुनी जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 02.08.2002 तक इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी कि वो विवादित आराजी के मौका की स्थिति बनाये रखने बाबत् जारी की गई तथा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब करने के आदेश दिए गये। अप्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा जवाब पेश किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में टी.आई. आदेश वर्ष 2002 से प्रचलन में है जिसे लगभग 16 वर्ष का समय हो गया है एवं प्रकरण का अभी निस्तारण नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 302, 304 वाके ग्राम बहाली तहसील राजगढ स्वीकार किया जाता है तथा इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 14.06.2002 का प्रचलन दावे के निर्णय तक स्थाई किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 15.06.2018 कैम्प कोर्ट पलवा पर सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति मूलवाद के संलग्न हो।

(पवन कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)
(कैम्प कोर्ट पलवा)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official